शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 10/जी0आई0 564 /52-1-2013-1(131)/13

प्रेषक,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 15 जनवरी, 2014

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 12 व 13 सितम्बर, 2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 73वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में स्वीकृत विकास खण्ड-बिसवॉ तथा लहरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण के लिए केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि (50 प्रतिशत) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(35)/2013-पी0पी0, दिनांक 27.09.2013 से जनपद सीतापुर के उक्त विकास खण्डों के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 37.16 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 27.88 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 13,94,000/-(रू0 तेरह लाख चौरान्नबे हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 4,64,000/-(रू0 चार लाख चौंसठ हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 18,58,000/- (रू0 अट्ठारह लाख अट्ठावन हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 3837.935 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

विकास खण्ड-बिसवाँ										
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सीतापुर	विराम क्योन्तीबदुल्लाह एवं जमौरा में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	02	9.29	13.94	4.64	18.58	6.97	2.32	9.29
विकास खण्ड-लहरपुर										
2	,,	ग्राम तारनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	02	9.29	13.94	4.64	18.58	6.97	2.32	9.29
						योग=	**37.16**	**13.94**	**4.64**	**18.58**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं क्षेत्रफल के अनुसार गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर टेकिंग) भी हस्तान्तरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि के उपयोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-2 प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उनके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त् धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली नियमानुसार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की

http://shasanadesh.up.nic.in

तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0 85-रा0 15)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1652/दस/2013, दिनांक 07.01.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या जी0आई0 564(1)/बावन-1-2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत केन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत केन्द्रों का समयान्तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस

http://shasanadesh.up.nic.in

आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

11- वित्त-ई-11 ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

13- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज उत्तर प्रदेश को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

14- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in